राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.8(ड)( )/का.भ./डीएलबी/21/2356 दिनांकः– 27.09.2022

आदेश

श्रीमती डॉ. सौम्या गुर्जर, महापौर, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक प.2(च)( )/जांच/डीएलबी/2022/3699 दिनांक 27.09.2022 द्वारा महापौर एवं सदस्या पद से हटाते हुए आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुर्ननिर्वाचन के लिए निर्योग्य घोषित किया गया है।

नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में महापौर का पद अन्य पिछडा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 (1) के प्रावधानों के दृष्टिगत अन्य पिछडा वर्ग की महिला को ही महापौर का कार्यभार दिया जाना विधि सम्मत है, चूंकि उप महापौर सामान्य श्रेणी से है।

अतः श्रीमती शील धाबाई, अन्य पिछडा वर्ग (महिला) सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर की वरिष्ठता, अनुभव व नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में राजनैतिक दल के बहुमत को मद्धेनजर रखते हुए श्रीमती शील धाबाई, अन्य पिछडा वर्ग (महिला) सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को महापौर के पद का कार्यभार सौपा जाता है। उक्त कार्यभार की अवधि आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो, तक के लिए दी जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः– प.8(ड)( )/का.भ./डीएलबी/21/2357-69 दिनांकः– 27.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज0, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. आयुक्त नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक की प्रकाशनार्थ।
10. श्रीमती शील धाबाई, सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शीत्र